



## आयकर विभाग

### आयकर आयुक्त कार्यालय-II ठाणे

वरदान बिं, नौवी मंजिल, वागळे इस्टेट, एम.आई.डी.सी., ठाणे - 400 604

स.ठाणे/आ.आ.-II/80 जी/220/2008-09/1872

दिनांक : 05.09.2008

सेवा में  
लनिंग स्पेस फाउंडेशन  
श्रद्धा सबुरी निवास,  
गणेशपुरी, भिवंडी,  
जिला ठाणे 401 206

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी(5) के अधीन  
छूट प्रमाणपत्र का नवीकरण ।

संदर्भ : आपके दिनांक 19.03.2008 के आवेदन पत्र का संदर्भ लें ।

★ ★ ★ ★ ★

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के अंतर्गत लनिंग स्पेस फाउंडेशन, गणेशपुरी, भिवंडी लिहित निवर्तों में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन दान दाताओं के पक्ष में छूट के लिए पात्र होंगे।

2. यह प्रमाणपत्र 01.04.2008 से 31.03.2011 तक की अवधि के लिए वैध रहेगा ।



S//  
( श्री. के दास शर्मा )  
आयकर आयुक्त-II,  
ठाणे

नोट :

01. कृपया नोट करें कि आपकी संस्था / न्यास कोई किसी व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य नहीं कर रही है जिससे उन्हें फीस या सेस या अन्य किसी रूप में राशि मिल रही हो या सेस या फीस इत्यादि के लिए किसी व्यापार वाणिज्य या व्यवसाय को सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है । ( उपबंध L 5 2(15) का संदर्भ लें )

02. दाताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र किस अवधि के लिए वैध है ।

03. आय व व्यय के विवरण प्रत्येक वर्ष आयकर अधिकारी, बॉर्ड (2), कल्याण को प्रस्तुत किए जाएं व इसमें यदि कोई चूक होती है तो इसके परिणाम स्वरूप आपका प्रमाणपत्र वापिस ले लिया/नवीकरण कर नहीं दिया जाएगा।


04. यदि आगे भी नवीकरण की आवश्यकता हो तो निर्धारित फार्म-10 जी में इस कार्यालय को आवेदन किया जाना चाहिए, जिसके साथ पिछले 3 वर्षों के लेखा विवरण व आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13(1)(ड) सी के तहत प्रमाणपत्र हो जिस पर ट्रस्टी के हस्ताक्षर हों व साथ में पिछले 3 वर्षों के दौरान रु. 500/- से अधिक का दान देने वाले दाताओं की सूची भी संलग्न हो, चालू प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने से पहले इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए।

...2/-

प्रतिलिपि

01. आयकर अधिकारी, बॉर्ड 1(2), कल्याण से निवेदन है कि वे बोर्ड के अनुदेश सं. 38 फाँ सं 20/8/9/ दिनांक 18.01.69 में दिए अनुसार ट्रस्ट द्वारा जमा किए वार्षिक विवरण को सत्यापित करें व देखें कि वे अभी भी शर्तों को पूरा कर रहे हैं अथवा नहीं ।

02. अपर आयकर आयुक्त, रेंज - 1, कल्याण.

  
( श्रीमती ए. वी. जोशी )  
आयकर अधिकारी ( सु ) (तकनीकी)  
कृते आयकर आयुक्त-II, टाणे